राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–33/सहा.रेडियो./सीधी भर्ती–2016/2019/37 दिनांकः 25/2/2019

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर (पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड) द्वारा दिनांक 10.10.2016 को विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये, जिसके संदर्भ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पत्र क्रमांकःप.14(43)(1)आरएसएमएसएसबी/अर्थना/पेरा. मेडि./परिणाम/2017/1307 दिनांक 28.3.2018 के द्वारा निम्नांकित सहायक रेडियोग्राफर अभ्यर्थी का चयन सहायक रेडियोग्राफर के पद पर किये जाने पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 23.1.2019 को मूल दस्तावेजों के सत्यापन कराने पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में सहायक रेडियोग्राफर पद की पे मैट्रिक्स लेवल 8 में नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 18500/– प्रतिमाह पर 2 वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान में किया जाता है :–

S. No.	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Final _Cat	Place of Posting
1	201600876825	MANISHA BAILAN	JAGDISH PRASAD	23.3.96	FEMALE	OBC	PMO KOTPUTALI JAIPUR

यह आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन जारी किये जा रहे है :–

1. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मैट्रिक्स के लेवल 8 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारी पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
3. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री/सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।
4. दिनांक 1.6.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है।
6. उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सभी छाया प्रति स्वंय द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा।
7. **उक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प0 1 (1) कार्मिक/(क–2)/2016/ दिनांक 15.07.2016 के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**

8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र, दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।
9. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
10. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः विवाह पंजियन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त की जावेगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विवाह पंजीयन नही करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नही माने जावेगें। परिपत्र दिनांक 22.5.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. विभागीय कर्मचारी/संविदा पर कार्यरत कर्मी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देगें।
12. उक्त अभ्यर्थी में से जिनका पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया गया है, वे अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।
13. उक्त अभ्यर्थी को **दिनांक** 7/3/2019 तक संबंधित अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–33/सहा.रेडियो./सीधी भर्ती–2016/2019/37 दिनांकः 25/2/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, (जन स्वा./प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएें, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
7. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थी से संबंधित मूल आवेदन पत्र की छाया प्रति एवं संलग्न दस्तावेज आदि **दिनांक** 28/2/2019 को विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें एवं समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थी को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें :–
   - (i) अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
   - (ii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।

(iii) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग (ओबीसी/एसबीसी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया) में चयन हुआ है उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैध मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(iv) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सही होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नही करावें।

(vi) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

9. चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता हैं कि वे सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करें।

10. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

11. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर